पेश: 4.11.24

आदेश

सरमेड़/अब्दुलकलाम 13/24

4.11.24

APP उमा सोपल के पूर्व के दिनांक 28.10.24 को प्रा. पत्र प्रस्तुत कर गैर शोपल अब्दुल खालिक के विरुद्ध पूर्व के निष्पादन की कार्यवाही होने के प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। शोपल का प्रा. पत्र स्वीकार कर इस जगह की खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद फालना नंबर में दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)